कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सरदारशहर

क्रमांकः 62–71 दिनांकः 15/04/2025

ई–निविदा सूचना सं. 01/2025–26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सरदारशहर खण्ड के अन्तर्गत भवन एवं सड़क निर्माण कार्य हेतु कुल 4 कार्यों के लिए उपयुक्त श्रेणी के सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हों, से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेन्डिरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन–लाईन ई–निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। आर.पी.डब्ल्यू.ए.–100 की शर्त लागू होगी। ई–निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट dipr.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। SPPP पर अपलोड PWD2526A0115 के UBN No. निम्न प्रकार है:–

S.No.	UBN No.	S.No.	UBN No.
1	PWD2526WSOB00337	2	PWD2526WSOB00340
3	PWD2526WSOB00342	4	PWD2526WSOB00343

हस्ता./–
(राजेन्द्र कुमार सैनी)
अधिशषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. खण्ड–सरदारशहर

DIPR/C/5389/2025

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Satin Housing Finance Ltd. THE ANSWER IS HOME

निगमित कार्यालय : भूखंड सं. 492, उद्योग विहार, फेज–3, गुरुग्राम, हरियाणा–122016 पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, कुंदन भवन, आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली–110033

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत।

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनायें 10–04–2025 निर्गत की थी, जिनमें निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) (उक्त ''ऋणकर्ता(ओं)'') को उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं), जिन्हें नीचे भी दिया गया है, में अंकित राशियों का, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा उक्त ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिवसों के अंदर धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना दिनांकित 10–04–2025 में यहां इसमें निम्नांकित देय राशि का, उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य प्रलेखों/आलेखों, यदि कोई, के साथ पठित ऋणानुबंध के अंतर्गत भुगतानयोग्य, निम्नांकित तिथि(यों) से लेकर के भुगतान एवं/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक, उक्त मांग सूचना(ओं) में विवरणितानुसार भावी ब्याज के साथ भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभूति के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा **सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के पास बंधककृत किया गया है।

ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
गोविंद हरि शुक्ला पुत्र ऋषभ देव (उधारकर्ता) नेहा शुक्ला पत्नी गोविंद हरि शुक्ला (सह–उधारकर्ता)	मांग सूचना दिनांक : 10/4/2025 राशि रु. 1122765/– (रुपये ग्यारह लाख बाईस हजार सात सौ पैंसठ मात्र) 8.02.2025 तक।	प्लॉट नं.18, अरजी नं. 132एमआई से निकाला गया, (क्षेत्रफल 55.73 वर्ग मीटर) **ग्राम मकसूदाबाद, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, निम्नानुसार सीमाबद्ध :–** पूर्व– प्राइवेट प्लॉट नं. 13, पश्चिम– 20 फीट रोड, उत्तर– प्राइवेट प्लॉट नं. 19, दक्षिण– प्राइवेट प्लॉट नं. 17

यदि उक्त ऋणकर्तागण, उपर्युक्तानुसार **सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** को भुगतान करने में विफल होंगे, तो **सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध, लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त ऋणकर्ताओं के संपूर्ण जोखिम पर अधिनियम की धारा 13 (4) और यथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। उक्त ऋणकर्ताओं को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति–सहमति के बिना उपर्युक्त परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा/अथवा अर्थदंड दिया जायेगा।

स्थान : गुरुग्राम **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 29–04–2025 **सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

कब्जा सूचना

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान औरध्या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के रूप में भविष्य में होने वाले ब्याज का भी भुगतान करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया देय (रुपये में)	दिनांक/समय एव कब्जे का प्रकार
1	46109420000772	1) श्री कपिल कुमार (उधारकर्ता), 2) श्रीमती रितु (सह–उधारकर्ता)	08–01–2025 रु.21,38,709/– (रुपये इक्कीस लाख अडतीस हजार सात एक सौ नौ मात्र) 07–01–2025 तक	दिनांक 26.04.2025 समयः 01:05 अपराह्न प्रतीकात्मक कब्जा

संपत्ति का विवरणः संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो प्लॉट नंबर 31 पर एक मकान है, जिसका क्षेत्रफल 76.81 वर्ग मीटर है, जो खसरा नंबर 440, सूर्य विहार कॉलोनी, गांव मामेपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001 में स्थित है। इसका स्वामित्व श्री कपिल कुमार, पुत्र श्री हरस्वरूप के पास है। इसकी सीमाएँः उत्तरः चक रोड, दक्षिणः प्लॉट नंबर 32, पूर्वः प्लॉट नंबर 30, पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क।

जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियो पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओ और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

स्थानः मेरठ **हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांकः 29.04.2025, **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071
शाखा कार्यालय :जी–01, ग्राउंड फ्लोर, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226010।

IndiaShelter Home Loans — इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना

पंजी. कार्यालय :– प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा–122 002,
शाखा पता : बी–3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226 010, उत्तर प्रदेश,

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनैंस ऐंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनरनिर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता नंबर	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्री/श्रीमती दीक्षा पांडे श्री/श्रीमती मुकेश पांडे प्लॉट नंबर 13 खसरा 183–184, प्रेमबाग कालोनी, शापूर मटियारी चिन्हट लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226 028 ऋण खाता सं. HL 11 CHLONS000005008019	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट नंबर 13 खसरा 183, 184, स्थित शापूर परगना लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226 028 पूरब : अन्य का प्लॉट, पश्चिम : विक्रेता का प्लॉट, उत्तर : 20 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : विक्रेता का प्लॉट	मांग सूचना : 09–08–2021 रू. 8,87,349.12/– (रूपए आठ लाख सतासी हजार तीन सौ उन्चास तथा पैसे बारह मात्र) 31–08–2021 तक बकाया + 01–09–2021 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत	25–04–2025 सांकेतिक

स्थान : लखनऊ, तिथि : 29–04–2025 **वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)**
किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुधीर तोमर (+ 91 98184 60101)

HFS Hiranandani Financial Services — हीरानंदानी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 514, दालमल टावर्स, 211 फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई– 400021,
कॉर्पोरेट कार्यालयः 9वीं मंजिल, सिग्मा टावर्स, हीरानंदानी बिजनेस पार्क, टेक्नोलॉजी स्ट्रीट, पवई, मुंबई–400076,
ईमेलः wecare@hfs.in / **वेबसाइटः** www.hfs.in / **दूरभाषः 022-25763623** / **सीआईएन नंबरः U65999MH2017PTC291060**

मांग–सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत **हीरानंदानी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** (इसके बाद 'एचएफएस' के रूप में संदर्भित) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस के प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का कहा किया गया है। अधोहस्ताक्षरी यथोचित रूप से मानते हैं कि उधारकर्ता डिमांड नोटिस (सूचनाओं) को प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की सेवा नियमों के अनुसार इसे चिपकाकर और प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग नोटिस (सूचनाओं) की सामग्री यहां नीचे दी गई है:

ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं का नाम /पता	धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि और कुल बकाया	सुरक्षित संपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण
लैन : 4375095101015447, ग्राहक आईडी 50524 1. शाहीन बानो (उधारकर्ता), 2. दिलादर खान (सह–उधारकर्ता) क्रमांक 1 और 2 का पताः 631/167, इस्माइलगंज सेक्टर–ए, जनकल्याण अस्पताल, मुलायम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 227105 **यहाँ पर भी :** प्लॉट नंबर 11, खसरा नंबर 185, क्षेत्रफल 176.579 वर्गमीटर, कामता वार्ड इस्माइलगंज, जिला लखनऊ – 227105, उत्तर प्रदेश	दिनांक : 25.04.2025 लैन : 4375095101015447 के लिए 18.04.2025 तक रु.20,38,970/– (बीस लाख अड़तीस हजार नौ सौ सत्तर रुपये मात्र) और एनपीए दिनांक : 04.04.2025	कामता वार्ड इस्माइलगंज, परगना, तहसील और जिला लखनऊ–227105, उत्तर प्रदेश में स्थित प्लॉट नंबर 11, खसरा नंबर 185 का सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट यानी 185.873 वर्ग मीटर है। **पूर्वः** घर, **पश्चिमः** 20 फीट रोड, **उत्तरः** घर, **दक्षिणः** आफताब का मकान। साथ ही पृथ्वी से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु या पृथ्वी से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तु तथा उस पर मौजूद सभी वर्तमान और भविष्य की संरचनाएं।

उधारकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस (सूचनाओं) का पालन करें और इसमें एवं इसके ऊपर उल्लिखित मांग राशि के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर करें। उधारकर्ता यह नोट करें कि **'एचएफएस'**, एक सुरक्षित लेनदार है और ऋणी द्वारा ली गई ऋण सुविधा अचल संपत्ति/संपत्तियों के प्रति एक सुरक्षित ऋण है जो उधारकर्ता (ओं) द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो **'एचएफएस'**, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति (ओं) का कब्जा शामिल है, लेकिन बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने और भुगतान की वसूली तक सीमित नहीं है। **'एचएफएस'** को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को संलग्न और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, **'एचएफएस'** को भी बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य **'एचएफएस'** को देय देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत **'एचएफएस'** के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता (ओं) को **'एचएफएस'** की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को बेचने या पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य कार्य के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने या डीलिंग करने से प्रतिबंधित किया ध्रोका जाता है और उपर्युक्त का गैर अनुपालन उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः लखनऊ, उत्तर प्रदेश **हस्ता./–**
दिनांकः 29.04..2025 **अधिकृत अधिकारी**
हीरानंदानी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी (मुजफ्फरनगर)

पत्रांक 147/लेखा0–क्रिटिकल गैप/2025–26 दिनांक:–25.04.2025

अल्पकालीन निविदा आमन्त्रण सूचना

खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी मुजफ्फरगनगर की ओर से क्रिटिकल गैप योजनान्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यो पर निविदाये राज्य सरकार के समस्त राजकीय विभागो में पंजीकृत ठेकेद्वारो से उनकी पंजीकरण सीमा अन्तर्गत दिनांक 08.05.2025 की अपरान्ह 2 बजे तक प्रतिशत दर पर मोहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 07.05.2025 की प्रातः 11 बजे तक विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है निर्माण कार्यो की अरनेस्ट मनी/जमानत राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 या एन0एस0सी0 के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी के पक्ष में बन्धक कराकर निविदा के साथ जमा की जानी है। निविदाये दिनांक 08.5.2025 को सायं 4 बजे ब्लॉक स्तरीय समिति के द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। कोई भी निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। निविदा सर्शत स्वीकार नही होगी। किसी भी विवाद उत्पन्न होने की दशा में न्याय क्षेत्र मुजफ्फरनगर ही मान्य होगा। कार्य इस विकास खण्ड के अवर अभियन्ता (ग्रा0अ0वि0) की देखरेख में करना होगा तथा उनके सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान होगा कार्यादेश प्राकल्लन की धनराशि की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी किये जायेगे विस्तृत शर्ते एवं विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखे जा सकते है। समय उपरान्त कोई निविदा स्वीकार नही की जायेगी। कराये जाने वाले कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	समय अवधि	निविदा मूल्य जी0 एस0 टी0 सहित
1.	उच्च प्राथमिक विधालय बढीवाला की चारदीवारी का निर्माण कार्य।	8.61	3 माह	508
2.	ग्राम पंचायत अलमावाला में सोलानी नदी पर लोहे का छोटा पुल निर्माण कार्य।	5.16	3 माह	305

खण्ड विकास अधिकारी
पुरकाजी, मुजफ्फरनगर

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के रूप में अभिज्ञात)

सीआईएन : L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 601, 6ठवां तल, पीरामल अमिति भवन, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फॉयर स्टेशन के सम्मुख, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम) मुंबई– 400070, दूरभाष : 91 22 3802 4000, शाखा कार्यालय : यूनिट नं. 01 एवं 09, भू तल, जीडी–आईटीएल नॉर्थ एक्स. टॉवर, भूखण्ड सं. ए–9, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली– 110034 तथा भूखण्ड सं. 6, ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, सेक्टर– 2, नोएडा– 201301

अधिग्रहण सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8-(1) तथा परिशिष्ट-IV के अनुसार अचल संपत्ति हेतु

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहाँ इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को माँग सूचना(एं) निर्गत की गई थीं, जिनमें अर्थात् सूचना/ओं में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहाँ इसमें निम्नांकितानुसार बकाया एक राशि तथा इस पर ब्याज हेतु पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	माँग सूचना तिथि एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि
1.	(ऋण कोड संख्या– HLSA000851D1), (लखनऊ – गोमती नगर – शाखा), वीरेंद्र कुमार (उधारकर्ता) / सुभा देवी (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति का सभी हिस्सा और पार्सल – प्लॉट नंबर ए –98 ए, 104 ए, 105 ए, 106 का हिस्सा, खसरा नंबर 2268 का हिस्सा, देवा बस स्टॉप, ग्राम देवा में स्थित, बाराबंकी –225301, उत्तर प्रदेश	20.12.2024 हेतु रु. 7002729.68 (रुपये सत्तर लाख दो हजार सात सौ उनतीस और अड़सठ पैसे मात्र)	24.04.2025 /भौतिक
2.	(ऋण कोड संख्या–M0078063), (मुरादाबाद – शाखा), मोहम्मद अशरफ (उधारकर्ता) / शवनम कामरे (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति का समस्त भाग –एल.आई. मकान नं. 06, आज़ाद नगर औसियें योजना, दिल्ली अस्पताल के पास, 150.00 मीटर (लगभग तहसील और जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 244001	25.06.2024 हेतु रु. 24,45,068/– (रुपये चौबीस लाख पैंतालीस हज़ार अड़सठ रुपये मात्र)	24.04.2025 / सॉंकेतिक
3.	(ऋण कोड संख्या–M0143139), (मुरादाबाद – शाखा), रवि कुमार (उधारकर्ता) / सुशीला देवी (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति का पूरा हिस्सा – खसरा सं. – 9ए, बीए का हिस्सा, जियारत मुरादाबाद के पास, उत्तर प्रदेश 244001	16.09.2024 हेतु रु. 869581/– (रुपये आठ लाख उनहत्तर हजार पांच सौ इक्यासी मात्र)	24.04.2025 / सॉंकेतिक
4.	(ऋण कोड संख्या– BLSA0002D2CA), (कानपुर – शाखा), तरुल कनोडिया (उधारकर्ता) / संतोष कनोडिया (सह–उधारकर्ता) / अतिन कनोडिया (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति का पूरा हिस्सा – प्रथम तल पर फ्लैट संख्या 101 और द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 201 और 202 परिसर संख्या 183/684बी–2 नयापुरवा कानपुर नगर कानपुर उत्तर प्रदेश 208011 पर निर्मित	24.01.2025 हेतु रु.50,49,398.72 (रुपये पचास लाख उनचास हजार तीन सौ अट्ठानबे और बहत्तर पैसे मात्र)	23.04.2025 / सॉंकेतिक
5.	(ऋण कोड संख्या–24000003375), (कानपुर – शाखा), संदीप बत्रा (उधारकर्ता)/प्रीना बत्रा (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति का समस्त भाग–फ्लैट संख्या 301, तृतीय तल, शिवालिक शेल्टर 117/एच/600 पौदार नगर, कानपुर नगर कानपुर शहरी उत्तर प्रदेश :– 208001	24.01.2025 हेतु रु. 34,20,460/– (चौंतीस लाख बीस हजार चार सौ साठ रुपए मात्र)	23.04.2025 (सॉंकेतिक)
6.	(ऋण कोड संख्या– M0147816), (कानपुर – शाखा), इरफान अहमद (उधारकर्ता) / रजिया बेगम (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति का पूरा हिस्सा – फ्लैट नंबर 100 ए, प्रथम तल, प्रेम नंबर 327/304–ए, एहसान एन्क्लेव, नासिर हॉस्पिटल के पास, कानपुर नगर– 208010	24.01.2025 हेतु रु. 27,13,671/– (रुपये सत्ताईस लाख तेरह हजार छह सौ इकहत्तर मात्र)	26.04.2025 / (सॉंकेतिक)
7.	(ऋण कोड संख्या– HLSA0002C9BA), (लखनऊ– गोमती नगर– शाखा), विनीत यादव (उधारकर्ता) / विनय यादव (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति का पूरा हिस्सा– खसरा संख्या 408 के भाग के रूप में भूमि का प्लॉट, बजरंग चौराहा, ग्राम गोयला, लखनऊ–226016, उत्तर प्रदेश में स्थित।	24.01.2025 हेतु रु. 25,09,919/– (रुपये पच्चीस लाख नौ हजार नौ सौ उन्नीस मात्र)	24.04.2025 /भौतिक
8.	(ऋण कोड संख्या–29400001202), (प्रयागराज – शाखा), मोहम्मद शेरान अय्यूबी (उधारकर्ता) / मारिया रियाज (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति के सभी हिस्से और पार्सल – अरजी नंबर 291 के हिस्से पर घर, मौजा ऐनुद्दीनपुर परगना और तहसील सदर करामत की चौकी के पास, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश :– 211016	24.01.2025 हेतु रु. 13,87,839/– (रुपये तेरह लाख सत्तासी हजार आठ सौ उनतालिस मात्र)	24.04.2025 / (सॉंकेतिक)
9.	(ऋण कोड संख्या– 06000008549), (लखनऊ – एमएमएम मर्ग – शाखा), नीरज तिवारी (उधारकर्ता) / रीमा तिवारी (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति का समस्त भाग – प्लॉट संख्या ए–16, खसरा संख्या 108 का भाग, ग्राम– नौबस्ता काला, परगना तहसील और जिला लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020 में स्थित	24.01.2025 हेतु रु. 13,05,822/– (तेरह लाख पांच हजार आठ सौ बाईस रुपए मात्र)	24.04.2025 / भौतिक
10.	(ऋण कोड संख्या– HLSA00087A9A), (कानपुर – शाखा), छंगा (उधारकर्ता) / अपहसाना (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति का पूरा हिस्सा – अरजी संख्या–498/2 के हिस्से पर प्लॉट, गांव–मिर्जापुर में स्थित, पानी की टंकी के पास सेक्टर चार कानपुर उत्तर प्रदेश 208001	24.01.2025 हेतु रु. 7,58,599/– (रुपये सात लाख अट्ठावन हजार पांच सौ निन्यानबे मात्र)	25.04.2025 /भौतिक
11.	(ऋण कोड संख्या– HLSA000709AD), (वाराणसी – शाखा), नंदा देवी (उधारकर्ता)/ स्वतंत्र विश्वकर्मा (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति का पूरा हिस्सा – अरजी संख्